...आज हम दीगर आवश्यक कार्यो में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 7/3/22... को पेश हो ।

07/03/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/04/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी

18/4/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जा चुका है। न्यायहित में एक और अंतिमतम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 23/05/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी

23/05/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के समक्ष डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश नहीं की है। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। वकील वादीगण द्वारा अन्तम [illegible] प्रकरण दिनांक 5/6/21 को पेश किया था। लगभग एक वर्ष की अवधि के भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई गई है जिससे वादीगण [illegible] तलबी के अभाव में [illegible] के तहत अदम ताकमील [illegible] किया जाता है। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:26 IST
Reason: SelfAttested

24/1/22

पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यो में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 7/3/22 को पेश हो।

07/03/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/04/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी)

18/4/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जा चुका है न्यायहित में एक और अंतिमतम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 23/05/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी)

23/05/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के समक्ष डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश नहीं की है। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। वकील वादीगण द्वारा उक्त उनवान प्रकरण दिनांक 5/6/21 को पेश किया था। लगभग एक वर्ष की अवधि के बाद भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई गई है लिहाजा वादीगण [illegible] पत्र तलबी के अभाव में [illegible] 5 CPC के तहत अदम [illegible] किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:26 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर, गुडामालानी

सेवामे,

श्रीमान सहायक कलक्टर एवं (एस डी ओ) महोदय,

गुडामालानी ।

वादीगण :–

1. मनोहरसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उम्र 33वर्ष
2. गिरधरसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उम्र 26 वर्ष
   कौम राजपुत निवासी चकगुडा
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. जबरसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह उम्र 60 वर्ष
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उम्र 23 वर्ष
3. रेवतसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उम्र 20 वर्ष
4. अर्जूनसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह उम्र 58 वर्ष
5. सरियाकंवर पत्नी बिंजराजसिंह उम्र 75 वर्ष
6. मोहनकंवर पत्नी श्री शम्भुसिंह उम्र 80 वर्ष
7. अर्जूनसिंह पुत्र श्री बिंजराजसिंह उम्र 60 वर्ष
   कौम राजपूत साकिन चकगुडा तहसील गुडामालानी
8. मैनेजर एस बी आई शाखा गुडामालानी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजियक गुडामालानी ।

राजस्व वाद अन्त[illegible] 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 [illegible] अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:26 IST
Reason: SelfAttested

महोदयजी,

वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार से है कि :–

... खातेदारी जमी...
...आलपुरा के ग्राम चकगुडा के खेत खसरा
...59/4 कुल रकबा 57–11 बीघ किस्म बारानी दोयम एवं इसी ग्राम के खसरा नम्बर 41 रकबा 59–19 बीघा किस्म बा. दोयम का आया हुआ है । ,जिसकी वर्तमान जमाबंदी एवं पैतक सम्पत्ति के रूप मे मिसल बदोबस्त की प्रमाणित प्रति साथ मे सलग्न है ।

2. कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक परिवार के सदस्य है व हिन्दू विधि से शासित है , कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पूर्व पुरूष शम्भुसिह के वारिसान एवं संतान है जिसकी वंश वृक्षावलि का सजरा निम्न प्रकार से है :–

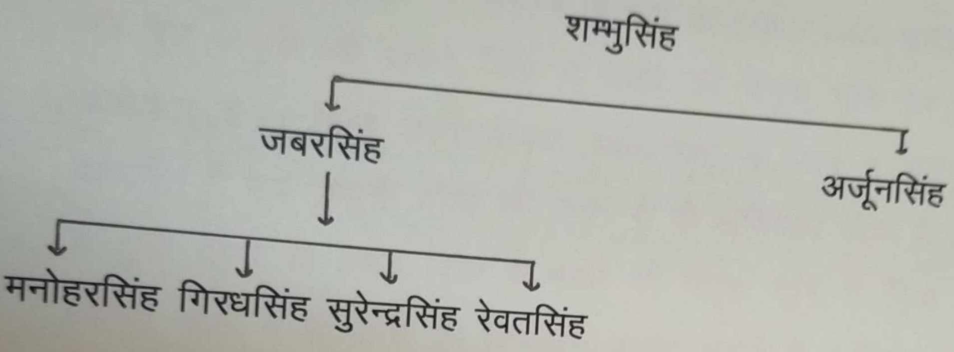

3. कि वक्त भू पैमाईश व भूमि बंदोबस्त के वक्त वादीगण के पूर्वज शम्भुसिंह के नाम का पर्चा लगान जारी हुआ तथा वादीगण के पूर्वज दादा शम्भुसिंह के फौत हो जाने से रणछोडा के विधिक वारिसान उत्तराधिकारी वादीगण के पिता जबरसिंह के नाम नामान्तरकरण भरा गया था तथा उक्त विवादित आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तेनी खातेदारी होने से वादीगण के पूर्वज की सम्पत्ति पैतृक रूप से प्राप्त हुई है । उपरोक्त पैतृक आराजी वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है । कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से जिसमे तहसील गुडामालानी पटवार मण्डल आलपुरा के ग्राम चकगुडा के खेत खसरा नम्बर 59 , 59/4 कुल रकबा 57–11 बीघ किस्म बारानी दोयम एवं इसी ग्राम के खसरा नम्बर 41 रकबा 59–19 बीघा किस्म बा. दोयम का आया हुआ है, जिसकी वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाना चाहते है इस हेतु यह वाद घोषणा का श्रीमान के समक्ष पैश है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:26 IST
Reason: SelfAttested

मनोहर सिंह